सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल खोलने के लिए मिलेंगी 'सुपर' सहूलियतें

मेडिकल क्षेत्र में निजी निवेश के लिए लाई जाएगी पॉलिसी

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** योगी सरकार प्रदेश के हर जिले तक सुपर स्पेशिएलिटी मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र की भी भागीदारी भी बढ़ाएगी। निजी सुपर स्पेशिलटी अस्पताल खोलने पर निवेशकों को स्टांप ड्यूटी, जमीन के दाम में छूट सहित अन्य रियायतों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नीति में गैर मैट्रो सिटीज में अस्पताल खोलने पर और अधिक सहूलियत देने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग पॉलिसी को अंतिम रूप देने में लगा है।

सीएम योगी ने प्रदेश के हर जिले को कम से कम एक मेडिकल कॉलेज से जोड़ने के निर्देश दिए थे। इसे अमलीजामा पहनाते हुए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 78 की जा चुकी है। इसमें पीपीपी मोड पर खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज भी हैं। प्रदेश की जनसंख्या और उसकी मेडिकल जरूरतों को देखते हुए अब सुपर स्पेशिएलिटी सेवाओं के और विस्तार पर फोकस है। इसलिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित की जा रही है। पॉलिसी में पीएम/सीएम जनआरोग्य अभियान और आयुष्मान भारत के तहत अनिवार्य पंजीकरण का भी प्रस्ताव है।

200 बेड के खोलने होंगे अस्पताल : एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित पॉलिसी में 17 नगर निगम क्षेत्रों, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और बाकी 57 जिला मुख्यालयों पर कम से कम 200-200 बेड के अस्पताल स्थापित करने होंगे। कम से कम तीन सुपर स्पेशिएलिटी सेवाओं : कार्डियॉलजी, न्यूरॉलजी, यूरॉलजी या मेडिसिन, सर्जरी और रेडिएशन संबंधी सुपर स्पेशिएलिटी सुविधाओं के साथ ऑन्कॉलजी के इलाज की सुविधा अनिवार्य होगी। सर्जरी, गायनी सहित आवश्यक सेवाओं को भी विकसित करना होगा। 17 महानगरों में अस्पताल बनाने के लिए सरकार जमीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 100% छूट देगी। अन्य 57 जिला मुख्यालयों में विकास प्राधिकरण की जमीनों पर 30% सब्सिडी, आकांक्षी जिलों व बुंदेलखंड के जिलों में आवंटन दर पर 50% सब्सिडी का प्रस्ताव है। वहीं, निजी जमीन की खरीद में सर्किल रेट पर 25%, आकांक्षी जिलों व बुंदेलखंड में 40% सब्सिडी पर विचार चल रहा है।

मुख्यालय से बाहर 100 बेड के अस्पताल पर भी सुविधा : प्रस्तावित नीति में जिला मुख्यालयों के बाहर 100 बेड का अस्पताल खोलने पर भी सुविधाएं देने की तैयारी है। यहां विकास प्राधिकरण की जमीन आवंटन दर पर 60% सब्सिडी देने, निजी जमीन पर सर्किल दर पर 50% सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी पर 100% छूट देने भी प्रस्ताव है।

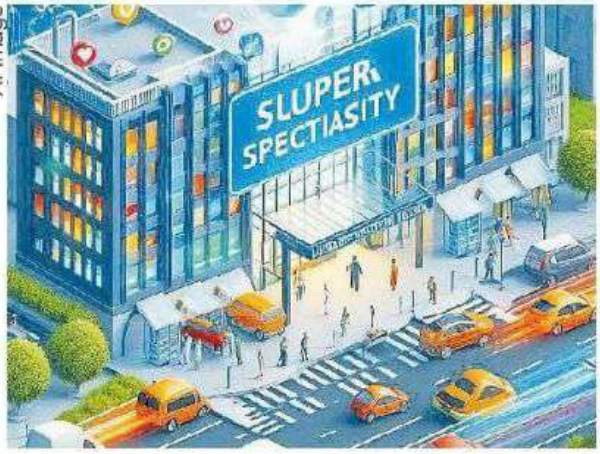

AI Image

"सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को इलाज के और बेहतर विकल्प मिल सकें। इसके लिए नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री

कानपुर में लगेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशीनें बनाने की यूनिट

टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी सभी तरह की मशीनों का होगा निर्माण

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** देश और यूपी में खुलने वाले नए टेक्सटाइल पार्क और टेक्सटाइल सेक्टर की अन्य इंडस्ट्रीज को अब मशीनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। देश में इन मशीनों को बनाने का पहला प्लांट कानपुर देहात में खोला जाएगा। इसके लिए एक भारतीय कंपनी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है। प्लांट के लिए करीब 875 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। प्लांट से 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इन मशीनों का होगा निर्माण : मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टेक्सटाइल उद्योगों के लिए स्विंग मशीन, विविंग मशीन, निटिंग मशीन और स्पोर्ट्स, सेना व हॉस्पिटल के कपड़े बनाने के लिए मशीनों का निर्माण किया जाएगा। इन मशीनों को देश के साथ-साथ विदेश में भी सप्लाई किया जाएगा।

AI Image

इन देशों से होता है आयात

अभी तक टेक्सटाइल उद्योग लगाने वाली कंपनियों को मशीनों का आयात चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों से होता है। जिसकी वजह से अधिक कीमत चुकाने के साथ उद्यमियों को मशीनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल करीब 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये की मशीनों का आयात होता है। मौजूदा समय में देश में यह कारोबार 150 बिलियन डॉलर का है। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक इसे 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।